

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

आदेश

क्रमांक 1067 /गोपनीय /2017
दो-2-25/93 (भाग-4)

जबलपुर, दिनांक 31 अगस्त, 2017


भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट से एकट 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी (जिला एवं सत्र न्यायाधीश) को उनके स्तम्भ क्रमांक (4) में निर्दिष्ट अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 8 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है :—

सारणी

क्रमांक	अधिकारी का नाम	सत्र खण्ड का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री वीरेन्द्र कुमार पाण्डेय, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, धार।	धार	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, धार की हैसियत से।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,


(मो. फहीम अनवर) 31.8.17
रजिस्ट्रार जनरल


पृष्ठांकन क्रमांक 1068 /गोपनीय /2017
दो-2-25/93 (भाग-4)

जबलपुर, दिनांक 31 अगस्त, 2017

प्रतिलिपि :-

- उपनियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स हबीबगंज, भोपाल-6, को मध्यप्रदेश राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ हेतु अग्रेषित।
- प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल को इस रजिस्ट्री के अर्धशासकीय के पत्र क्रमांक 1065/गोपनीय/2017, दिनांक 31.08.2017 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया संबंधित अधिकारी की सेवाएं खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, भोपाल से वापस लेकर तत्संबंधी आदेश की प्रति इस रजिस्ट्री को प्रेषित करें।
- प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय, भोपाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। वे कृपया संबंधित अधिकारी को अपने वर्तमान पदस्थापना से इस प्रकार कार्यभार सौंपने संबंधी निर्देश देवें जिससे कि वे अपनी नवीन पदस्थापना पर दिनांक 31-08-2017 को अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण कर सकें तथा तत्संबंधी सूचना इस रजिस्ट्री को शीघ्र प्रेषित करें।
- रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, मैदामिल, भोपाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। वे कृपया संबंधित अधिकारी को अपने वर्तमान पदस्थापना से इस प्रकार कार्यभार सौंपने संबंधी निर्देश देवें जिससे कि वे अपनी नवीन पदस्थापना पर दिनांक 31-08-2017 को अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण कर सकें तथा तत्संबंधी सूचना इस रजिस्ट्री को शीघ्र प्रेषित करें।

5. श्री वीरेन्द्र कुमार पाण्डेय, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, धार को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु अग्रेषित। वे कृपया अपनी वर्तमान पदस्थापना के स्थान पर इस प्रकार कार्यभार सौंपे की वे अपनी नवीन पदस्थापना पर दिनांक 31-08-2017 को अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण कर सकें तथा तत्संबंधी सूचना इस रजिस्ट्री को शीघ्र प्रेषित करने का कष्ट करें।
6. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
7. जिला जज (निरीक्षण), उच्च न्यायालय प्रांगण, जबलपुर / जिला जज (निरीक्षण), जे०ई०-१ जजेस ऐनकलेव, रेसीडेन्सी ऐरिया, इंदौर-४५२००१ / जिला जज (निरीक्षण), २८/बी, रेसकार्स रोड, मेला ग्राउण्ड के सामने, ग्वालियर (म०प्र०) को सूचनार्थ अग्रेषित।
8. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर / इन्दौर को सूचनार्थ अग्रेषित।
9. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर, न्यू हाईकोर्ट बिल्डिंग, सिटी सेन्टर, ग्वालियर को सूचनार्थ अग्रेषित।
10. सदस्य सचिव / उप सचिव मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, ५७४, साउथ सिविल लाईन्स, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
11. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, (I. L. R. & Examination) / (Vigilance) / (Judicial) उच्च न्यायालय, म.प्र., जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
12. प्रभारी संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक आकादमी, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
13. श्री ओंकारनाथ, सदस्य सचिव, स्टेट कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को सूचनार्थ अग्रेषित।
14. रजिस्ट्रार (D.E) / (Inspection & Litigation)/ (Administration)/ (Judicial-I) / (Judicial-II) / (Exam & Labour Judiciary)/ Registrar-cum-Secretary M.P., High Court Legal Services Committee, Jabalpur/ (E) / लेखा अधिकारी / बजट अधिकारी / ज्वाईट रजिस्ट्रार (Protocol) / डिप्टी रजिस्ट्रार (Judicial), उच्च न्यायालय, म.प्र., जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
15. रजिस्ट्रार—कम—माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के प्रमुख निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय को सूचनार्थ अग्रेषित।
16. डिप्टी रजिस्ट्रार—सह—रजिस्ट्रार जनरल की निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
17. माननीय न्यायाधिपति श्री _____ के निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित।
18. माननीय न्यायाधिपति श्री _____ के निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर / इन्दौर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित।
19. माननीय न्यायाधिपति श्री _____ के निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर/ग्वालियर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित।
20. अनुभाग अधिकारी पेन्शन / बजट / सहायक (कार्य) / शिकायत / वेतन निर्धारण (राजपत्रित) / अग्रिम / अवकाश (राजपत्रित) / सिविल चेकर / क्रिमिनल चेकर उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।


(मो. फहीम अनवर)
रजिस्ट्रार जनरल